



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234404
CG-DL-E-23032022-234404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2022/ चैत्र 2, 1944

No. 1225]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/ CHAITRA 2, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

का.आ. 1266(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1400(अ) तारीख 25.03.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में श्रीकाकुलम-अनूगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल) और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल)					
अनुसूची					
जिला- डेंकानाल			राज्य : ओडिशा		
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्ग मीटर
हिन्दोल	सरपा-5	426	00	00	84
		424	00	00	43
		425	00	05	03
		427	00	02	46
		452	00	04	97
		451	00	01	76
		453	00	01	72
		460	00	10	10
		459	00	00	01
		462	00	00	88
		464	00	03	73
		463	00	04	39
		475	00	00	08
		474	00	10	08
		467	00	07	02
		473	00	01	78
		471	00	07	58
		470	00	00	57
		483	00	02	69
		484	00	14	34

जिला- ठेंकानाल		राज्य : ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्ग मीटर
		485	00	00	23
		860	00	00	61
		861	00	07	27
		858	00	05	61
		857	00	06	73
		903	00	09	03
		903/1104	00	03	69
		903/1105	00	03	39
		903/1106	00	04	27
		902	00	12	17
		920/1080	00	00	01
		921	00	08	44
		922	00	06	97
		923	00	05	82
		928	00	01	04
		929	00	03	52
		930	00	04	61
		931	00	06	19
		964	00	00	66
		963	00	06	37
		960	00	01	80
		962/1115	00	08	77
		973	00	00	37
		961	00	00	06
		962	00	12	47
		1011/1033	00	11	61

[फा. सं. एल-14014/44/2022-जीपी-II (ई-41799)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2022

S.O. 1266(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. **1400(E)** dated 25.03.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam - Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Srikakulam-Angul Pipeline (SAPL)					
SCHEDULE					
District – Dhenkanal			State : Odisha		
Name of Tehsil	Name of Village- Thana No.	Survey No.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
Hindol	Sarapa-5	426	00	00	84
		424	00	00	43
		425	00	05	03
		427	00	02	46
		452	00	04	97
		451	00	01	76
		453	00	01	72
		460	00	10	10
		459	00	00	01
		462	00	00	88
		464	00	03	73
		463	00	04	39
		475	00	00	08
		474	00	10	08
		467	00	07	02

District – Dhenkanal			State : Odisha		
Name of Tehsil	Name of Village- Thana No.	Survey No.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
		473	00	01	78
		471	00	07	58
		470	00	00	57
		483	00	02	69
		484	00	14	34
		485	00	00	23
		860	00	00	61
		861	00	07	27
		858	00	05	61
		857	00	06	73
		903	00	09	03
		903/1104	00	03	69
		903/1105	00	03	39
		903/1106	00	04	27
		902	00	12	17
		920/1080	00	00	01
		921	00	08	44
		922	00	06	97
		923	00	05	82
		928	00	01	04
		929	00	03	52
		930	00	04	61
		931	00	06	19
		964	00	00	66
		963	00	06	37
		960	00	01	80
		962/1115	00	08	77
		973	00	00	37
		961	00	00	06
		962	00	12	47
		1011/1033	00	11	61

[फा. सं. L-14014/44/2022-GP-II (E-41799)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.